न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 143 / 2023

अनवान : –

1. पारी पुत्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रातुसर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मनसुख पुत्र चोलाराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसी नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **गैरसायल संख्या 1**

निर्णय दिनांकः 03/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 87 / 87 की कुल 8.6110 हैक्ट भूमि सायला व तरतीबी प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायला व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर फसल काश्त की हुई है। सायल अनुसुचित जाति की महिला है तथा गैरसायल संख्या 1 जो की उंची पंहूच वाला व्यक्ति है गैरसायल संख्या 1 जो की आये दिन सायला को तंग परेशान करता रहता है तथा सायला के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश कर सायला की फसल बर्बाद करना चाहता है तथा सायला व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के खेत मं दखल देना चाहता है। गैरसायल संख्या 1 अपनी योजना मे कामयाब हो जाता है तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायला गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है कि गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है कि गैरसायल संख्या 1 रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता संख्या 87 / 87 की कुल 8.6110 हैक्ट भूमि में प्रवेश न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] गया। मौजा रोही रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20[illegible] कुल 8.6110 हैक्ट वाद भूमि में प्रार्थीया के रिकार्ड में [illegible] किसी प्रकार की [illegible]न्दाजी न करे एवं जबरिया कब्जे करने से निषिद्ध रहे। अप्रार्थ[illegible] को तलब किया गया [illegible]र्थी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पशे किया की उत्तरदाता आवासीय भूमि पर मकान बना कर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है तथा रोही मौजा ललानिया के 94/2 की 0.250 हैक्ट भूमि जो कि आवासीय परियोजना हेतु है जिसमें गांव की आबादी बसी हुई है अपनी कृषि भूमि की आड़ में आवासीय भूमि पर स्थगन करवाना चाहता है व प्रार्थी के कृषि भूमि में से स्वीकृतशुद्धा रास्ता है जिसको अवरूद्ध करने की नियत से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता द्वारा अपनी आवासीय रूपान्नतरित भूमी का सीमा ज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब प्रार्थीया ने न्यायालय को गुमराह कर अपनी कृषि भूमि पर स्थनग आदेश पारित करवा लिया जिससे उत्तरदाता का सीमाज्ञान नही हो पा रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त गैरसायल संख्या 1 जो की उंची पंहूच वाला व्यक्ति है गैरसायल संख्या 1 जो की आये दिन सायला को तंग परेशान करता रहता है तथा सायला के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश कर सायला की फसल बर्बाद करना चाहता है गैरसायल संख्या 1 अपनी योजना मे कामयाब हो जाता है तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी आवासीय भूमि पर मकान बना कर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है तथा रोही मौजा ललानिया के 94/2 की 0.250 हैक्ट भूमि जो कि आवासीय परियोजना हेतु है जिसमें गांव की आबादी बसी हुई है अपनी कृषि भूमि की आड़ में आवासीय भूमि पर स्थगन करवाना चाहता है व प्रार्थी के कृषि भूमि में से स्वीकृतशुद्धा रास्ता है जिसको अवरूद्ध करने की नियत से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता द्वारा अपनी आवासीय रूपान्नतरित भूमी का सीमा ज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब प्रार्थीया ने न्यायालय को गुमराह कर अपनी कृषि भूमि पर स्थनग आदेश पारित करवा लिया जिससे उत्तरदाता का सीमाज्ञान नही हो पा रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत कब्जा दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर त[illegible]ल [illegible]हर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 87/87 की [illegible] सायला व तरतीबी प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible]र्थीया का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी वाद भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब प्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन की आड़ में पैमाईश को रूकवा दिया गया है जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है न कि प्रार्थीया को। अतः अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को न की प्रार्थी को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है काश्तकार को भूमि की पैमाईश सीमाज्ञान से रोका जाना न्यायोचित नही है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण दिनांक 16.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested